न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 63/2018

लक्ष्मन पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 15.10.2018 तहसीलदार वैर। पत्रावली संख्या 38/2018 उनवानी राज0 सरकार बनाम लक्ष्मन अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री मोहनसिंह राणा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 15.10.2018 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 3.03 बीघा ग्राम हाथौडी किस्म गैरमुमकिन मरघट में से 1.00 बीघा पर पक्का मकान निर्माण व घूडा लकडी ईंधन आदि डालकर अतिक्रमण करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दौहेराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी के है। अपीलान्ट द्वारा अपनी जबाबदेही के माध्यम से यह स्पष्ट लिखा गया है कि अपीलान्ट द्वारा मरघट की भूमि पर पक्का मकान निर्माण कर ईधन लकडी वगैरा 1.00 बीघा रकवे में नहीं रखे है जबकि मकान पक्का घूडा लकडी ईधन जो भी है वह अपीलान्ट की अन्य खातेदारी आराजीयात में रखे हुये है। गैरमुमकिन मरघट की भूमि अपीलान्ट की अन्य खातेदारी की आराजी से लगी हुई है। गांव की पार्टी बन्दी के आधार पटवारी हल्का ने अतिकमी की रिपोर्ट पेश की है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी, भू अभिलेख निरीक्षक ने क्या रिपोर्ट पेश की है उसका उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं है जिसके कारण अपीलाधीन आदेश नॉनस्पीकिग होने के कारण त्रुटि पूर्ण है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान रिकार्ड नहीं किये है जिससे अपीलान्ट का केस प्रीज्युडिस हुआ है। खसरा नम्बर 159 में रकवा 1 बीघा 7 विस्वा में अपीलान्ट निवास कर रहा है। खसरा नम्बर 159 की आड में अपीलान्ट को खसरा नम्बर 171 का अतिकमी मानते हुये जो कार्यवाही की है वह मौके के विरूद्ध है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 26.02.2018 की रिपोर्ट के आधार पर तहत न्यायालय में अपीलान्ट का अतिकमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2018 पारित किया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर तहसीलदार वैर द्वारा कराई गई को संयुक्त पैमाईश दिनांक 23.01.2019 में विवादित खसरा नम्बर 217 गैरमुमकिन मरघट ग्राम हाथौडी में अपीलान्ट का अतिकमण नहीं होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थित में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.02.2018 का गलत होना प्रमाणित होता है एवं अपीलाधीन आदेश उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि:–

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2018 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)